

4/44/2018-1144P

**Report on Visit to, Central Jail Bilaspur by Dr Vinod Aggarwal  
Special Rapporteur on 24<sup>th</sup> July, 2018.**

Format of Jail report is enclosed as annexure-1. Renowned poet Shri Makhan Lal Chaurvedi, remained in this prison from 5<sup>th</sup> July 1921 to 1<sup>st</sup> March, 1922. While incarcerated in this jail, he dedicated a poem Pushp ki Abhilasha to the nation.

**Recommendation after the visit, Discussion with Jail Suptd, and inmates are as follows.**

1. The jail is very old and completed 145 years after establishment. Although by look, the jail is well maintained and can be used for another 50-60 years as new wards have been constructed for 560 prisoners. As such now the jail has come in almost in the city but the jail is well maintained and can be used despite of being old. Earlier jail was district jail, II nd category, but since 3<sup>rd</sup> April, 1999, it has been declared as a central jail.
2. The jail is meant to house only 1838 prisoners and at present double the capacity, is the number of inmates. As such lot of over- crowding is seen because of 2 reasons. As few wards have been raged to ground for reconstruction, the present capacity has come down to less than 1500. Once the dismantled wards are reconstructed the capacity will go beyond 2200. The women ward is also full up to brim and more than double the capacity the women inmates are also there.
3. Jail campus is spread over 18 acres, and the new jail wards for 500 is being built and another wards for 500 more can be built. The jail is being upgraded with the use of 25 water harvesting pits used for water conservation. There are 2, 10 Kw. solar power stations have been installed which has created a 24 hr backup of power in the jail.
4. The personal position is not as comfortable as Punjab and Haryana, but better than UP, Rajasthan, MP, Jharkhand and Bihar. Among 13 head warders 13 are in place. Similarly against 106 warders 97 are in positions. Out of total posts of 188, 137 are in position. The medical doctors are in shortage. Out of 2 doctors only one is in position. Majority of treatments, the inmates have to go out for treatment, most of the time malingering with chest pain.

5

5. There are 2461 inmates with rigorous imprisonment & large no of inmates who are going through life imprisonment sentence. Some of them are employed in various trades but the productivity is very small, only about 5 million rupee. The jail management is using almost one third of such inmates and it is required that the vacancies of deputy superintendent industries, trainers for weaving, carpentry need to be filled to improve the efficiency and number of persons gainfully employed.
6. The jail should have a 120 bed hospital, but in actual it has 30(25 male + 5 women) bed hospital. It is recommended that the barracks near the hospital is located, although not part of hospital, but the jail administration with the help of medical officer convert them as ward for older persons, persons with diabetes and hyper-tension. This will help in better management that the persons who require more attention are in nearby locations of the medical in charge.
7. The Kitchen definitely requires up-gradation, in the form of fully indoor kitchen, provision of Chimney, Automatic door closure and chapatti making machines, along with modern platform are the immediate need. The kitchen was comparatively clean but not automated. But lot of flies were seen because of lack of wire mesh in the doors and many parts of kitchen work happening in open area. Only one redeeming feature is use of biomass gassi-fire which is saving of Rs 5.5 lakhs per annum.
8. The no. of cage latrines are insufficient, seeing the number in inmates in each ward or barrack, each barrack/ward should have at least 2 cage latrines and it is possible. Although 110 toilets have been built under Swatch Bharat Mission, in urban self ranking of Government Buildings. It is recommended that other could also be requested to take use of this facility to overcome shortage and cage latrines may also be added under this scheme.
9. Out of 836 prisoners who are under-trials, only 5 who are imprisoned more than 5 years. Their cases should be reviewed by the visitors and these cases should be decided fast by the judiciary, as it is said justice delayed is justice denied.
10. In the State of Chhattisgarh, the powers to the District collector and the appellate powers to IG prisons are quite sufficient in granting parole and such complaints are much lesser of not release as compared to other states. The

- SSRB has been constituted but its meetings are not conducted regularly. It is recommended the meetings must be done at a regular interval.
11. The Jail doesn't have a component of an open or semi-open jail. The State of CG is yet to work on Open, semi-open or Model jail concept. It is suggested that each divisional HQ should also have an open jail for well behaved convicts who have completed 10 years or more, as this will reduce the expenditure on jail.
  12. The large no of inmates are being trained in the skill development since 2015. 283 inmates have completed training success-fully in 13 trades and as per the jail administration; the trained man power is being used as the labour in Jail industries. The rate given to the inmates is quite low as compared to NHRC guidelines. This matter may be taken up with the jail authorities directly by the commission.
  13. 14 inmates are studying in the through Indira Gandhi National Open University (IGNOU) for graduation. 155 inmates including 34 women have been made literate and 401 are studying from class 1-8 including 75 females in education program. The education program of the jail is an excellently run program and may be emulated by other jails.
  14. There is no role performed by NGOs in upgrading the jail and may be encouraged.
  15. The posts of Sociologist, social worker, Psychologist are the need of hour in the jails. Besides the creation of positions of the supervisors in the production of various items they will impart training to the inmates.

  
21/8/18  
Dr Vinod Aggarwal

केन्द्रीय जेल बिलासपुर से संबंधित जानकारी

जेल में भ्रमण करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावे

01. जेल प्रारंभ होने का वर्ष - सन् 1873
02. जेल प्रारंभ के समय जेल की श्रेणी - जिला जेल द्वितीय श्रेणी
03. वर्तमान में जेल की श्रेणी - केन्द्रीय जेल 03.04.1999
04. जेल का क्षेत्रफल (वर्गफीट में) - 7,79,175 वर्गफीट 18 एकड़
05. बैरको की संख्या - 35+10=45
06. जेल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या - 30 (25 पुरुष वार्ड + 05 महिला वार्ड)
07. बिलासपुर सर्किल की जेलें - जिला जेल, रायगढ़  
जिला जेल, कोरबा  
जिला जेल, जांजगीर  
उप जेल, पेन्द्रारोड  
उप जेल, कटघोरा  
उप जेल, सारंगढ़  
उप जेल, सक्ती  
उप जेल, मुंगेली

08. जेल में बंदियों को रखने की क्षमता- पुरुष 1758 + महिला 80 = 1838

दिनांक 24.07.2018 को परिरुद्ध बंदियों की अद्यतन स्थिति

कैदी	पुरुष	विदेशी बंदी	किन्नर	महिला	योग
सक्त कैदी	2461	05	00	151	2617
साधारण कैदी	01	00	00	00	01
विचाराधीन बंदी	776	00	00	60	836
सिविल/दीवानी बंदी	05	00	00	00	05
योग	3243	05	00	211	3459
					+ (20 बच्चे)

09. विचाराधीन बंदियों की संख्या :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में 776 पुरुष एवं 60 महिला बंदी कुल 836 बंदी परिरुद्ध है।
10. मानसिक रूप से बीमार बंदियों की संख्या :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 33 पुरुष बंदी एवं 06 महिला बंदी कुल 44 मानसिक रूप से बीमार बंदी परिरुद्ध है।

11. विदेशी राष्ट्रीयता वाले बंदियों की संख्या :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में 05 बंदी परिरुद्ध है।
12. नक्सली बंदी का विवरण :- 15, आतंकवादी :- 13

**नक्सली बंदियों के संबंध में जानकारी भेजने बाबत माह-जून 2018**

क्र.	जेल का नाम	नक्सली बंदी का नाम एवं पता	विचाराधीन/दण्डित	धारा एवं जेल प्रवेश दिनांक	सजा की अवधि
1.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	नक्सली दण्डित बंदी क्रमांक 8013/116, बाबूलाल शर्मा आ. स्व. श्री लाल शर्मा, उम्र-52 वर्ष, जाति-ब्राम्हण, निवासी-बांदे बस स्टैण्ड के पास जिला-कांकेर	दण्डित	धारा-121, 121(क) 124 (क) 34 भा.द.वि. व धारा 10 (क) (ख) (पप) 13, 18, 38 (2) 39 क, 40 (1) (क) (ख) (ग) विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 4,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 3, 8, (1) (2) (3) (5) छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, अप. क. 541/13 प्रकरण क्रमांक 2292/14, सत्र प्रकरण क्रमांक 55/14, न्यायालय-माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ0ग0) जेल प्रवेश दिनांक-29.10.2015 को के0जे0 रायपुर से पेशी पश्चात् स्था. पर प्राप्त।	10 वर्ष सश्रम कारावास कुल जुर्माना रूपयें 1500/- न पटाने पर 06 माह कठोर कारावास
2.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	बंदी क्रमांक 8014/116 कटिया राम नरेटी आ. चमरु राम नरेटी, उम्र-41 वर्ष, जाति- गोंड निवासी-रेंगाबाही, थाना-बांदे, जिला-कांकेर(छ.ग.)	दण्डित	धारा-121, 121(क) 124 (क) 34 भा.द.वि. व धारा 10 (क) (ख) (पप) 13, 18, 38 (2) 39 क, 40 (1) (क) (ख) (ग) विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 4,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 3, 8, (1) (2) (3) (5) छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, अप.क. 541/13 प्रकरण क्रमांक 2292/14, सत्र प्रकरण क्रमांक 55/14, न्यायालय-माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ0ग0) जेल प्रवेश दिनांक-29.10.2015 को	10 वर्ष सश्रम कारावास कुल जुर्माना रूपयें 1500/- न पटाने पर 06 माह कठोर कारावास

				के0जे0 रायपुर से पेशी पश्चात् स्था. पर प्राप्त।	
3.	केन्द्रीय जेल विलासपुर	बंदी कमांक 8015/116 राजेश धुवा आ. दशरू धुवा, उम्र-23 वर्ष, जाति- गोंड, निवासी रेंगाबाही, थाना- बांदे, जिला-कांकेर (छ.ग.)	दण्डित	धारा-121, 121(क) 124 (क) 34 भा.द.वि. व धारा 10 (क) (ख) (पप) 13, 18, 38 (2) 39 क, 40 (1) (क) (ख) (ग) विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 4.5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 3, 8, (1) (2) (3) (5) छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, अप.क. 541/13 प्रकरण कमांक 2292/14, सत्र प्रकरण कमांक 55/14, न्यायालय-माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर (छ0ग0) जेल प्रवेश दिनांक-29.10.2015 को के0जे0 रायपुर से पेशी पश्चात् स्था. पर प्राप्त।	10 वर्ष सश्रम कारावास कुल जुर्माना रूपये 1500/- न पटाने पर 06 माह कठोर कारावास
4.	केन्द्रीय जेल विलासपुर	बंदी कमांक 8016/116 तारक कुंडु आ. हरेकृष्ण कुंडु, जाति -बंगाली, उम्र-42 वर्ष, निवासी-बांदे बाजार के पास बांदे जिला-कांकेर (छ.ग.)	दण्डित	धारा-121, 121(क) 124 (क) 34 भा.द.वि. व धारा 10 (क) (ख) (पप) 13, 18, 38 (2) 39 क, 40 (1) (क) (ख) (ग) विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 4.5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 3, 8, (1) (2) (3) (5) छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, अप.क. 541/13 प्रकरण कमांक 2292/14, सत्र प्रकरण कमांक 55/14, न्यायालय-माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर (छ0ग0) जेल प्रवेश दिनांक-29.10.2015 को के0जे0 रायपुर से पेशी पश्चात् स्था. पर प्राप्त।	10 वर्ष सश्रम कारावास कुल जुर्माना रूपये 1500/- न पटाने पर 06 माह कठोर कारावास
5.	केन्द्रीय जेल विलासपुर	बंदी कमांक 8017/116 शत्रुघन वैष्णव उर्फ भोलाराम उर्फ डॉ. भोला आ. स्व. मणिलाल वैष्णव, उम्र-40 वर्ष, जाति-वैष्णव, निवासी-ढालेखाली, थाना-देवांडा, जिला- खुन्ना पश्चिम, हाल. ग्राम	दण्डित	धारा-121, 121(क) 124 (क) 34 भा.द.वि. व धारा 10 (क) (ख) (पप) 13, 18, 38 (2) 39 क, 40 (1) (क) (ख) (ग) विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम	10 वर्ष सश्रम कारावास कुल जुर्माना रूपये

		मादपखाजूर थाना बांदे, जिला-कांकेर (छ.ग.)		1967 की धारा 4.5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 3, 8, (1) (2) (3) (5) छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, अप.क. 541/13 प्रकरण क्रमांक 2292/14, सत्र प्रकरण क्रमांक 55/14, न्यायालय- माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर (छ0ग0) जेल प्रवेश दिनांक-29.10. 2015 को के0जे0 रायपुर से पेशी पश्चात् स्था. पर प्राप्त।	1000/- न पटाने पर 04 माह कठोर कारावास
6.	केन्द्रीय जेल विलासपुर	विचाराधीन बंदी क्रमांक 3477/317 विष्णु क्षत्री आ. जीतू क्षत्री, उम्र- 27 वर्ष, जाति-क्षत्री, निवासी-नयापारा वार्ड क्रमांक 08 महासमुंद, थाना- महासमुंद, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	विचाराधीन	धारा- 38 (2) 39 (2) विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, अप.क. 257/15, न्यायालय- माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर (छ0ग0) जेल प्रवेश दिनांक- 05.01. 2016 को के0जे0 रायपुर से पेशी पश्चात् स्था. पर प्राप्त।	---
7.	केन्द्रीय जेल विलासपुर	विचाराधीन महिला बंदिनी क्रमांक 121 /एफ-10, रामवती उर्फ बुधियारी उसेण्डी पिता मंगल उसेण्डी, उम्र-25 वर्ष, निवासी -अलपरस, थाना- कोयली बेड़ा, जिला- कांकेर (छ.ग.)	विचाराधीन	धारा-121,122,124,(क), 307,34 भा.द.वि. 27,25 आर्म्स एक्ट, थाना बरमकेला के अप.क. 72/11, न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ (छ0ग0) मान.न्यायालय आदेशानुसार सुरक्षा की दृष्टि से जिला जेल रायगढ़ से दिनांक10. 07.2016 को स्थानान्तरण पर प्राप्त।	---
8.	केन्द्रीय जेल विलासपुर	विचाराधीन महिला बंदिनी क्रमांक 122 /एफ-10, श्यामवती पिता मनकू पड्डे उम्र-25वर्ष, निवासी -बीमनार,थाना-पुरुषनार, जिला-नारायणपुर(छ.ग.) (अभियुक्ता श्यामवती के साथ में एक 05 वर्ष का लड़का नाम 'कृष्णा' है)	विचाराधीन	धारा-121,122,124,(क), 307,34 भा.द.वि. 27,25 आर्म्स एक्ट, थाना बरमकेला के अप.क. 72/11, न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ (छ0ग0) मान.न्यायालय आदेशानुसार सुरक्षा की दृष्टि से जिला जेल रायगढ़ से दिनांक10.07.2016 को स्थानान्तरण पर प्राप्त।	---

9.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	विचाराधीन बंदी क्रमांक 2989/326 टिकेश्वर मरकाम आ. मोती राम, उम्र-20 वर्ष, जाति-गोंड, निवासी-घोरागांव धुवंपारा, थाना-नगरी, जिला-धमतरी (छ0ग0).	विचाराधीन	धारा- 3,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 17, 23, विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम, अप.क. 113/16, न्यायालय-विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छ0ग0 जेल प्रवेश दिनांक 23.12.2016	---
10.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	विचाराधीन बंदी क्रमांक 2990/326 बजरंग कुंजाम आ. गोकुल कुंजाम, उम्र- 23 वर्ष, जाति-गोंड, निवासी- घोरागांव धुवंपारा, थाना-नगरी, जिला-धमतरी (छ0ग0),	विचाराधीन	धारा- 3,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 17, 23, विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम, अप.क. 113/16, न्यायालय-विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छ0ग0 जेल प्रवेश दिनांक 23.12.2016	---
11.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	विचाराधीन बंदी क्रमांक 2298/334, गोविंद राम आ. स्व. सनऊ राम मरकाम, उम्र- 36 वर्ष, जाति- गोंड, साकिन- जोगी बिरदो, थाना- खल्लारी, जिला- धमतरी	विचाराधीन	अपराध धारा- 302, 147, 148, 149, 342 भा.द.वि. 25,27 आर्म्स एक्ट एवं 08 छ.ग. जन सुरक्षा अधिनियम +10,13,16,18 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, अपराध क्रमांक 03/17, न्यायालय.- विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए. एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ.ग.) जेल प्रवेश दिनांक 11.11.2017	---
12.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	विचाराधीन बंदी क्रमांक 2299/334, रायसिंग परदे आ. हंलाल सिंह परदे, उम्र-42 वर्ष, जाति- गोंड साकिन- खल्लारी नया पारा, थाना- खल्लारी, जिला- धमतरी (छ.ग.)	विचाराधीन	अपराध धारा- 302, 147, 148, 149, 342 भा.द.वि. 25,27 आर्म्स एक्ट एवं 08 छ.ग. जन सुरक्षा अधिनियम + 10, 13, 16, 18 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, अपराध क्रमांक 03/17, न्यायालय.- विशेष न्यायाधीश एन. आई.ए. एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ. ग.) जेल प्रवेश दिनांक 11.11.2017	---
13.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	विचाराधीन बंदी क्रमांक 2300/334, दिलीप नेताम आ. जोहन सिंह, उम्र- 32 वर्ष, जाति-गोंड, साकिन- खल्लारी, थाना-खल्लारी, जिला- धमतरी (छ.ग.)	विचाराधीन	अपराध धारा- 302, 147, 148, 149, 342 भा.द.वि. 25,27 आर्म्स एक्ट एवं 08 छ.ग. जन सुरक्षा अधिनियम + 10, 13, 16, 18 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, अपराध क्रमांक	---



				03/17, न्यायालय,- विशेष न्यायाधीश एन. आई.ए. एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ. ग.) जेल प्रवेशदिनांक 11.2017	
14.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	विचाराधीन बंदी क्रमांक 2301/334, यदवन्त कुमार आ. जोहन सिंग नेताम, उम्र- 25 वर्ष, जाति- गोंड, थाना- खल्लारी, जिला- धमतरी (छ.ग.)	विचाराधीन	अपराध धारा- 302, 147, 148, 149, 342 भा.द.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 08 छ.ग. जन सुरक्षा अधिनियम + 10, 13, 16, 18 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, अपराध क्रमांक 03/17, न्यायालय,- विशेष न्यायाधीश एन. आई.ए. एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ. ग.) जेल प्रवेश दिनांक 11.11.2017	---
15.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	विचाराधीन बंदी क्रमांक 2302/334, घासीराम ओट्टी उर्फ घंसियाराम आ. बिन्दू राम ओट्टी, उम्र- 32 वर्ष, जाति- गोंड, साकिन- हांथीगांव, पोस्ट- नक्टी सिमोड़ा, थाना- रायघर, जिला- नवरंगपुर (उडीसा)	विचाराधीन	अपराध धारा- 302, 147, 148, 149, 342 भा.द.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 08 छ.ग. जन सुरक्षा अधिनियम + 10, 13, 16, 18 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, अपराध क्रमांक 03/17, न्यायालय,- विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए. एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ.ग.) जेल प्रवेशदिनांक 11.11.2017	---

### इण्डियन मुजाहिददीन, आई.एस.आई., एवं सिमी बंदियों की जानकारी

क्र.	बंदी का नाम/पिता का नाम	जेल प्रवेश दिनांक	अप.क. एवं धारा	माननीय न्यायालय का नाम
1.	विचा. बंदी क्रमांक 3982/319 जुबेर हुसैन पिता स्व. मोहम्मद, उम्र-42 वर्ष, जाति-मुसलमान, साकिन- मंगेरी हाऊस आयशा मंजिल पंचमुंगेर, थाना-काबुर, जिला- मंगलौर (कर्नाटक)	दिनांक 27.02.2017 को पेशी पश्चात के0जे0 रायपुर से स्थानान्तरण पर प्राप्त।	सत्र प्रकरण क्रमांक 137/14 अपराध धारा-3,13,17,40 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967	माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर
2.	विचा. महिला बंदिनी क्रमांक 307/एफ-10 आयशा बानू पति जुबेर हुसैन, उम्र-39 वर्ष, जाति- मुसलमान, निवासी- साकिन- मंगेरी हाऊस आयशा	दिनांक 27.02.2017 को पेशी पश्चात के0जे0 रायपुर से स्थानान्तरण पर प्राप्त।	सत्र प्रकरण क्रमांक 137/14 अपराध धारा-3,13,17,40 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967	माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश

	मंजिल पंचमुंगेर, थाना-काबुर, जिला- मंगलौर (कर्नाटक) (साथ में 08 माह का बच्चा)			विलासपुर
3.	विचा. बंदी क्रमांक 3984 / 319 धीरज साव आ. विदेशवरी साव, उम्र-21 वर्ष, जाति- साव, निवासी- छुट्टु धनवा थाना व जिला जमुई (बिहार) हा0 मु0 वालिया काम्पलेक्स ट्रान्सपोर्ट नगर रावामाठा खमतराई रायपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0)	दिनांक 27.02.2017 को पेशी पश्चात के0जे0 रायपुर से स्थानान्तरण पर प्राप्त।	सत्र प्रकरण क्रमांक 137 / 14 अपराध धारा-3,13,17,40 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967	माननीय न्यायालय, विशेषन्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर
4.	विचा. बंदी क्रमांक 375 / 338 पप्पू मण्डल आ. गोरेलाल, उम्र-28 वर्ष, जाति- मण्डल, निवासी- छुट्टु धनवा थाना व जिला जमुई (बिहार)	दिनांक 07.05.2018	थाना खमतराई / रायपुर का अपराध क्रमांक 567 / 13 अपराध धारा-17,40 विधि विरुद्ध क्रिया अधिनियम 419 भा.द.वि. 66 आई.टी. एक्ट	माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर
5.	विचा. बंदी क्रमांक 1171 / 331 सुखेन हलधर आ. हरिपद हलधर, उम्र-28 वर्ष, जाति- हलधर, निवासी- मकान नम्बर 3 / 25 सत्यजीत, पल्ली बेनाचिट्टी दुर्गापुर थाना-अरविंदो जिला -वर्धमान (पश्चिम बंगाल)	माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर के आदेशानुसार दिनांक 27.07.2017 को प्राप्त हुआ।	थाना खमतराई / रायपुर का अपराध क्रमांक 567 / 13 अपराध धारा-17,40 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 419 भा.द.वि. 66 आई.टी.एक्ट	माननीय न्यायालय, विशेषन्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर
6.	विचा. सिमी बंदी क्रमांक 3983 / 319 गुफुरान पिता डॉ0 ताजुद्दीन (ताजुद्दीन) उम्र-28 वर्ष, जाति- मुसलमान, निवासी-नूरानीचौक राजातालाब, थाना-सिविल लाईन रायपुर, जिला-रायपुर	दिनांक 27.02.2017 को पेशी पश्चात के0जे0 रायपुर से स्थानान्तरण पर प्राप्त।	केश नम्बर 103 / 2014 एफ.आई.आर.नं0 740 / 13 धारा -212,216,121,124(क)153 (ए)भा.द.सं.एवं धारा-3,7,10,11,13,15,16,18,19 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधि. तथा धारा-25,27 आर्म्स एक्ट व धारा-3,4 विस्फोटक अधि.	माननीय न्यायालय, विशेषन्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर
7.	आई.एस.आई. से संबंधित विचाराधीन बंदी क्रमांक 202 / 329, अवधेश दुबे उर्फ लल्लू आ. स्व. तुलेश दुबे, उम्र-26 वर्ष, जाति-दुबे, साकिन - अकलतरा कन्या शाला स्कूल के पास वार्ड (12), थाना-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	दिनांक 17.04.2017 को इस जेल प्रविष्ट हुआ है।	थाना-सिविल लाईन विलासपुर के अपराध क्रमांक 288 / 17, अपराध धारा- 121 (क), 123, 34 भा.द.वि.	माननीय न्यायालय, विशेषन्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर
8.	आई.एस.आई. से संबंधित विचाराधीन बंदी क्रमांक 298 / 329, धर्मेन्द्र यादव आ. राधेलाल, उम्र-34 वर्ष, जाति-यादव, साकिन	दिनांक 01.05.2017 को इस जेल प्रविष्ट हुआ है।	थाना-सिविल लाईन विलासपुर के अपराध क्रमांक 288 / 17, अपराध धारा- 121 (क), 123, 34	माननीय न्यायालय, विशेषन्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट

	—सिंचाई कालोनी अकलतरा, थाना—अकलतरा, जिला—जांजगीर—चांपा		भा.द.वि.	एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर
9.	आई.एस.आई. से संबंधित विचाराधीन बंदी क्रमांक 209/329, मनेन्द्र यादव आ. राधेश्याम, यादव उम्र—25वर्ष जाति—यादव, साकिन—सिंचाई कालोनी अकलतरा थाना—अकलतरा, जिला—जांजगीर—चांपा	दिनांक 18.04.2017 को इस जेल प्रविष्ट हुआ है।	थाना—सिविल लाईन बिलासपुर के अपराध क्रमांक 288/17, अपराध धारा— 121 (क), 123, 34 भा.द.वि.	माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर
10.	आई.एस.आई. से संबंधित विचाराधीन बंदी क्रमांक 334/329, सतविंदर सिंह आ. गुरुदीत सिंह, उम्र—47 वर्ष, जाति—सिख (ब्राम्हण), साकिन—सिंबल कैम्प टेकरी पुलिस लाईन के पास, थाना—मीरा साहब, जिला—जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर)	दिनांक 08.05.2017 को इस जेल प्रविष्ट हुआ है।	थाना—सिविल लाईन बिलासपुर के अपराध क्रमांक 288/17, अपराध धारा— 121 (क), 123, 34 भा.द.वि.	माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर
11.	आई.एस.आई. से संबंधित विचाराधीन बंदी क्रमांक 416/329, राजीव उर्फ रज्जन तिवारी आ. रामनिवास तिवारी, उम्र—30 वर्ष, जाति—तिवारी, साकिन—पोड़ी, पोस्ट—पिथौराबाद, थाना—नागौद, जिला—सतना (म.प्र.)	दिनांक 17.05.2017 को इस जेल प्रविष्ट हुआ है।	थाना—सिविल लाईन बिलासपुर के अपराध क्रमांक 288/17, अपराध धारा— 121 (क), 123, 34 भा.द.वि.	माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर
12.	आई.एस.आई. से संबंधित विचाराधीन बंदी क्रमांक 417/329, अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बार आ. स्व. अब्दुल हबीब उम्र—62 वर्ष, जाति—मुसलमान, साकिन—दिल्ली 06 जामा मस्जिद म0नं0 3926 जगत सिनेमा के पास नूरखाजा बाग, थाना—जामा मस्जिद दिल्ली, जिला—दिल्ली (भारत.)	दिनांक 17.05.2017 को इस जेल प्रविष्ट हुआ है।	थाना—सिविल लाईन बिलासपुर के अपराध क्रमांक 288/17, अपराध धारा— 121 (क), 123, 34 भा.द.वि.	माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर
13.	आई.एस.आई. से संबंधित विचाराधीन बंदी क्रमांक 208/329, संजय देवंगन आ. टीकाराम उम्र—26 वर्ष, जाति—देवांगन, साकिन—वार्ड नं. 11 पुरानी बस्ती तलवापारा, थाना—कोतवाली, जिला—जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)	दिनांक 24.11.2017 को जम्मू कश्मीर से ट्रांजिट रिमाण्ड पश्चात वापस इस जेल में प्रविष्ट हुआ है।	थाना—सिविल लाईन बिलासपुर के अपराध क्रमांक 288/17, अपराध धारा— 121 (क), 123, 122, 120बी, 201, 420 34 भा.द.वि.	माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एन0आई0ए0 एक्ट एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर

13. संचालित उद्योग-

ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, काष्ठकला, सिलाई, स्टील फर्नीचर, बुनाई उद्योग।

माह अप्रैल 2018 से जून 2018 तक का उत्पादन एवं विक्रय की जानकारी

क्रमांक	जेल में संचालित उद्योग का नाम	जेल उद्योग से कुल उत्पादन
1	आफसेट/स्क्रीन प्रिंटिंग	1650484.00
2	काष्ठकला उद्योग	1497212.00
3	स्टील फर्नीचर उद्योग	105089.00
4	सिलाई उद्योग	50440.00
5	मसाला उद्योग	328310.00
6	वाशिंग पाउडर उद्योग	417780.00
7	फिनायल उद्योग	270018.00
8	साबुन उद्योग	605568.00
9	बुनाई उद्योग	124407.00
10	नायलोन डोरी उद्योग	0.00
11	कढ़ाई-बुनाई उद्योग	12980.00
12	चाक उद्योग	0.00
योग-		<b>5062288.00</b>

कुल उत्पादन - **50,62,288.00**

कुल विक्रय - **1,25,29,743.00**

प्राप्त बजट - **65,00,000.00**

14. बैण्ड पार्टी :-केन्द्रीय जेल बिलासपुर में बंदियों की बैण्ड पार्टी स्थापित है। जेल में परिरुद्ध बंदियों को बैण्ड का प्रशिक्षण दिये जाने के साथ-साथ बिलासपुर शहर के नगर निगम सीमा तक आम नागरिकों के मांग अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुये शादी एवं अन्य समारोहों में बैण्ड पार्टी को भेजा जाता है।
15. जेल अस्पताल :-केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 30 बिस्तरों (25 बिस्तर पुरुष वार्ड एवं 05 बिस्तर महिला वार्ड में) वाला जेल अस्पताल है जिसमें एक नियमित चिकित्सा अधिकारी, 02 फार्मासिस्ट एवं 01 लेब टेक्नीशियन पदस्थ है। महिला बंदियों के स्वास्थ्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के आदेशानुसार एक महिला चिकित्सा अधिकारी, इस जेल पर संलग्न हैं।
16. विशेष सुरक्षा व्यवस्था :-केन्द्रीय जेल बिलासपुर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस विभाग से 1-4 की सशस्त्र गार्ड तैनात है।
17. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग :- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम क्रियाशील है। दिनांक 01.01.2018 से 24.07.2018 तक कुल 21 प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिसमें से 13 प्रकरणों निराकरण किए गए।
18. जल व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था :- (1) जल व्यवस्था-परिरुद्ध बंदियों हेतु जेल परिसर में ही कुल 08 नग ट्यूबवेल उपलब्ध है। 02 नग ओव्हर हेड टैंक है जिसमें एक टंकी लगभग 2000 लीटर एवं दूसरी टंकी लगभग 14000 लीटर की क्षमता का है, जिससे बंदियों के दैनिक दिनचर्या हेतु एवं पीने का शुद्ध पानी प्रदाय किया जाता है। साथ ही इन्हीं ट्यूबवेल से जेल आवासीय परिसर में पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिसमें समय-समय पर नगर निगम के माध्यम से टंकी साफ-सफाई की

जाती है। पानी की शुद्धता हेतु क्लोरिन लिक्विड एवं ब्लीचिंग पावडर डाला जाता है। वर्तमान में पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है।

(2) सफाई व्यवस्था-केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 03 सफाई कर्मचारी पदस्थ है जिनके द्वारा जेल के अंदर एवं बाहर की नियमित रूप से साफ-सफाई की जाती है

19. **भोजन व्यवस्था :-** जेल नियमावली के निसमानुसार निर्धारित मापदण्ड में बंदियों को भोजन चिकित्सा अधिकारी के परीक्षणोंपरांत वितरण कराया जाता है। बंदियों हेतु भोजन पाकशाला में दण्डित बंदियों द्वारा ही तैयार किया जाता है।

**बंदियों को दिये जाने वाले भोजन का माप दण्ड निम्नानुसार है:-**

क्र.	खाद्यान्न का नाम	दण्डित बंदी	विचाराधीन बंदी
1	चावल भोजन	640 ग्राम	525 ग्राम
2	आटा भोजन	585 ग्राम	465 ग्राम
3	नमक	30 ग्राम	25 ग्राम
4	चावल नाश्ता (रविवार छोड़कर)	115 ग्राम	115 ग्राम
5	आटा नाश्ता (रविवार छोड़कर)	90 ग्राम	90 ग्राम
6	दाल	115 ग्राम	115 ग्राम
7	तेल	25 ग्राम	25 ग्राम
8	लकड़ी (भोजन हेतु)	625 ग्राम	625 ग्राम
9	सब्जी	235 ग्राम	235 ग्राम
10	चायपत्ती	4 ग्राम	4 ग्राम
11	शक्कर	20 ग्राम	20 ग्राम
12	दूध	60 ग्राम	60 ग्राम
13	लकड़ी (चाय हेतु)	100 ग्राम	100 ग्राम
क्र.	मसाला		
1	पिसी मिर्च	1 ग्राम	1 ग्राम
2	पिसी हल्दीह	1 ग्राम	1 ग्राम
3	पिसी धनिया	0.5 ग्राम	0.5 ग्राम
4	प्याज मसाला	2.5 ग्राम	2.5 ग्राम
5	ईमली मसाला	5 ग्राम	5 ग्राम
योग		10 ग्राम	10 ग्राम
क्र.	रविवार		
1	आटा हलुआ	60 ग्राम	60 ग्राम
2	शक्कर हलुआ	60 ग्राम	60 ग्राम
3	वनस्पति घी हलुआ	30 ग्राम	30 ग्राम
4	लकड़ी हलुआ	235 ग्राम	235 ग्राम
5	भूना चना नाश्ता	100 ग्राम	100 ग्राम
6	गुड़ नाश्ता	100 ग्राम	100 ग्राम
क्र.	त्यौहारों पर विशेष भोजन		
	त्यौहारों में विशेष भोजन हलुआ पुड़ी प्रदान किया जाता है		

क्र.	सामग्री का नाम	वितरण का समय	मात्रा	रिमाक
1	कपड़ा धोने का साबुन	प्रति सप्ताह (दण्डित/विचा.)	90 ग्राम	
2	वाशिंग पाऊंडर	प्रति सप्ताह (दण्डित/विचा.)	50 ग्राम	
3	नहाने का साबुन	प्रति सप्ताह (दण्डित/विचा.)	125 ग्राम	
4	सरसों का तेल	प्रति सप्ताह (दण्डित/विचा.)	5 ग्राम	
5	कोलगेट पाऊंडर	प्रति सप्ताह (दण्डित/विचा.)	1 ग्राम	
6	गुड़	प्रतिदिन (दण्डित बंदी)	20 ग्राम	
7	नारियल तेल	प्रतिदिन (दण्डित/विचा.महिला बंदी)	5 ग्राम	

### बच्चों का खुराक तालिका-2018

क्र.	खाद्यान्न	01 वर्ष से कम	12 से 18 माह	18 से 24 माह	02 वर्ष से अधिक
1	दुध	0	350	235	230
2	चावल	115	115	235	230
3	दाल	निरंक	30	30	30
4	सब्जी	निरंक	निरंक	निरंक	150
5	आटा	निरंक	निरंक	निरंक	125 ग्राम
6	शक्कर	निरंक	निरंक	निरंक	20 ग्राम
7	सोयाबीन	निरंक	निरंक	निरंक	15 ग्राम
8	सरसों तेल	30	निरंक	निरंक	निरंक

20. अशासकीय संदर्शक :- छ.ग.शासन, गृह (जेल) विभाग, मंत्रालय रायपुर, अधिसूचना क्रमांक एफ-4-40/तीन जेल/15, दिनांक 30.10.2015 के आदेशानुसार नियुक्त अशासकीय संदर्शक का नाम निम्नानुसार है।
- (1) श्री बलराम हरियाणी, कृष्णानगर जूना बिलासपुर,
  - (2) श्री नारायण तावड़कर, राजेन्द्र नगर, पों. आ. के पीछे,
  - (3) श्री राजेन्द्र अग्रहरी, ग्राम व पो. मटियारी,
  - (4) श्री विश्वनाथ यादव, चटघट रोड, तखतपुर,
  - (5) श्री रमाकान्त चंद्रनाडू, नं. पं., तिफरा,
  - (6) श्री एस. श्रीनिवास राव, जगन्नाथ मंदिर के पीछे,
  - (7) श्री नंद कन्हैया यादव, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़.
  - (8) श्री संलय मिश्रा, ग्राम पो. छोटी कोनी,
21. महिला बंदी :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में दण्डित महिला बंदी 151 विचाराधीन महिला बंदी 60 कुल 211 महिला बंदी परिरुद्ध है।
22. महिला बंदी जिनके साथ बच्चे हैं :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों की जानकारी निम्नानुसार है:-  
महिला बंदी, जिनके साथ बच्चे हैं-
1. श्रीमती संतोषी पति रामलाल-बाबा-सुरज
  2. श्रीमती शीतल पति कन्हैयालाल-बाबा-सचिन
  3. श्रीमती ममता पति राजेन्द्र-बाबा-मोन्दू

4. श्रीमती धनकुमारी पति-बाबा-नीरज
  5. श्रीमती पुसईया पति-बाबा-अविनाश
  6. श्रीमती पुराईन पति दिनेश-बाबा-शशिकान्त
  7. श्रीमती कल्याणी पति खूबूगिरी-बेबी-चंचल
  8. श्रीमती संतोषी पति तिहारू-बेबी-आरती
  9. श्रीमती सावित्री पति रामसागर-बेबी-पूजा
  10. श्रीमती इतवारा पति दशरथ-बेबी-प्रिंसी
  11. बेबी-मुस्कान पिता संदीप सैनी
  12. श्रीमती भानु उर्फ पूजा पति सुरेश-बेबी-पायल
  13. श्रीमती नीरा पति आंमकार-बेबी-दिव्या
  14. श्रीमती आयशा पति जुबैर हुसैन-बाबा-अमान
  15. श्रीमती रीता पति दिनेश-बाबा-कनुश
  16. श्रीमती राजकुमारी पति चन्द्रप्रकाश-बाबा-कमलेश
  17. श्रीमती संतोषी पति मोतीलाल-बेबी-रित्तिका
  18. श्रीमती यांदवी पति शेख-बेबी-शकिना
  19. श्रीमती बेरोनिका पति रोहित-बेबी-अमृता
  20. श्रीमती देवकी पति परदेशी-बेबी-आराध्या
23. ऐसा परिवार जो बंदी हो (पूरा परिवार, दहेज प्रताड़ना) :- निरंक है।
24. जेल में मृत्यु :- निरंक है।
25. जेल में हिंसा :- निरंक है।
26. जेल के स्टाफ :- जानकारी निम्नानुसार है-

#### केन्द्रीय जेल बिलासपुर

क्रमांक	पदनाम	रि-डिप्लॉयमेंट के बाद स्वीकृत सेटअप	भरे पद	रिक्त पद
1.	जेल अधीक्षक	01	01	00
2.	मेडिकल ऑफिसर (पूर्ण कालीन)	02	01	01
3.	विधि अधिकारी	01	00	01
4.	उप जेल अधीक्षक	02	01	01
5.	सहायक जेल अधीक्षक (उप जेलर)	04	04	00
6.	सहायक जेल अधीक्षक (सहायक जेलर)	11	03	08
7.	वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	01	00	01
8.	परिवीक्षा अधिकारी	01	01	00
9.	उप अधीक्षक उद्योग	01	00	01
10.	वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक	01	00	01
11.	वरिष्ठ बढई प्रशिक्षक	01	01	00
12.	सिलाई प्रशिक्षक	01	01	00
13.	बढई प्रशिक्षक	01	00	01
14.	बुनाई प्रशिक्षक	01	00	01
15.	लेखापाल	02	00	02
16.	सहायक ग्रेड-02	01	01	00
17.	सहायक ग्रेड-03	01	01	00
18.	प्रेस फोरमेन	01	00	01
19.	प्रेस मशीन मेन	01	00	01
20.	प्रेस कम्पोजिटर	01	00	01

21.	लेब टेक्नीशियन	01	01	00
22.	फार्मासिस्ट ग्रेड-02	04	02	02
23.	शिक्षक	01	01	00
24.	मेट्रन	01	01	00
25.	प्रमुख मुख्य प्रहरी	02	00	02
26.	मुख्य प्रहरी	13	13	00
27.	प्रहरी	106	97	09
28.	रिजर्व गार्ड मुख्य प्रहरी	01	00	01
29.	रिजर्व गार्ड प्रहरी	09	00	09
30.	व्यायाम प्रशिक्षक	01	00	01
31.	वाहन चालक	02	02	00
32.	भृत्य	02	02	00
33.	स्वीपर	06	03	03
34.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	01	00	01
35.	परिचारिका	02	00	02
	योग	188	137	51

27. **वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था :-** वर्तमान में उपलब्ध अधिकारी वर्ग तथा प्रहरियों से निरंतर जेल की सुरक्षा एवं नियंत्रण बनाया गया है। मुख्य प्रहरी तथा प्रहरी वर्ग की ड्यूटी दिन एवं रात्रि में बदल-बदल कर जेल के अंदर एवं बहार लगाई जाती है।
28. **नई सुविधायें :-** दण्डित बंदियों के परिजनों से बात करने हेतु प्रीजनर कॉलिंग सेन्टर की व्यवस्था की गई है जिसमें बंदियों को उनके परिजनों एवं वकील से 15 दिनों में एक बार 5 मिनट बात करवाने की सुविधा उपलब्ध है। बंदियों के सुविधा के लिए साफ-सफाई हेतु कम्बल-चादर व कपड़े धोने हेतु वॉशिंग-मशीन की सुविधा है एवं दण्डित बंदियों को 15 दिनों में व विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में 01 बार इंटरकॉम के द्वारा उनके परिजनों से मुलाकात कराये जाने की सुविधा उपलब्ध है।
29. **शिक्षा :-** केन्द्रीय जेल बिलासपुर में विगत वर्ष 2017-2018 शिक्षा सत्र की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	जेल का नाम	परीक्षा का नाम	परीक्षा में शामिल			परीक्षा में उत्तीर्ण		
			पु0	म0	योग	पु0	म0	योग
01.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	पहली	45	14	59	45	14	59
		दूसरी	38	16	54	38	16	54
		तीसरी	18	13	31	18	13	31
		चौथी	24	05	29	24	05	29
		पांचवी	31	12	43	31	12	43
		छठवी	34	03	37	34	03	37
		सातवी	27	01	28	27	01	28
		आठवी	14	04	18	14	04	18
		दसवी	01	-	01	01	-	01
		बारहवी	01	-	01	00	-	00
		बी. ए. प्रथम	03	-	03	03	-	03
		बी.ए. द्वितीय	03	-	03	03	-	03
		बी.कॉम द्वितीय	01	-	01	01	-	01
		बी.कॉम अंतिम	01	-	01	01	-	01
		एम.ए. द्वितीय	04	-	04	03	-	03
		एम.ए0 अंतिम	02	-	02	02	-	02
		एम.कॉम अंतिम	01	-	01	01	-	01
		योग	248	68	316	246	68	314



केन्द्रीय जेल बिलासपुर में शिक्षा सत्र 2018-2019 में अध्ययनरत बंदियों की जानकारी -

कक्षा	पुरुष	महिला	योग
पहली	90	20	110
दूसरी	48	12	60
तीसरी	38	15	53
चौथी	22	11	33
पांचवी	32	05	37
छठवी	33	08	41
सातवी	33	03	36
आठवी	30	01	31
योग	326	75	401
साक्षरता कार्यक्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे बंदी	121	34	155
इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के अंतर्गत परिक्षार्थी बंदियों की संख्या	बी.पी.पी.	-	-
	बी.ए.	14	14

30. **मनोरंजन :-** केन्द्रीय जेल बिलासपुर में बंदियों के मनोरंजन हेतु टी. व्ही., कैरम, शतरंज, लूडो, बॉली-बॉल, बॉस्केट-बॉल, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका की व्यवस्था उपलब्ध है।
31. **कानूनी सहायता :-** केन्द्रीय जेल बिलासपुर में प्ली बारगेनिंग शिवीर, विधिक साक्षरता शिवीर के माध्यम से कानूनी सहायता बंदियों को दी जाती है। साथ ही जेल के अंदर ही लीगल एड क्लीनिक की स्थापना बंदियों हेतु की गई है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति किया गया है जो सप्ताह में 04 बार आते हैं, एवं बंदियों के विधिक प्रकरणों का निराकरण करते हैं।
32. **स्वयं सेवी संगठनों का जेल में भागीदारी :-** निरंक है।
33. **रोजगार संबंधी प्रशिक्षण सुविधा :-**

**पुरुष बंदियों--** को समाल से की मुख्य धारा से जोड़ने एवं पुनर्वास की दिशा में जेल में संचालित उद्योग- आफसेट प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन प्रिंटिंग, सिलाई उद्योग, काष्ठकला उद्योग, स्टील फर्नीचर उद्योग, एवं केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में के तहत समय-समय पर विभिन्न ट्रेडों में बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में कुल 245 बंदियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

**महिला बंदियों-** को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं पुनर्वास की दिशा में जेल में संचालित उद्योग पापड़ बनाने को प्रशिक्षण, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, अचार बनाने का प्रशिक्षण राखी बनाने का प्रशिक्षण ब्यूटीपार्लर का प्रशिक्षण एवं **प्रधानमंत्री कौशल विकाय योजना** के तहत समय-समय पर विभिन्न ट्रेडों में बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। ताकि बंदी जेल से छूटने के बाद अपने स्वयं का व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सभ्य नागरिक की भूमिका अदा कर अपना जीवन यापन कर सकें। साथ ही साथ कम्प्यूटर का भी प्रशिक्षण बंदियों को दिया जाता रहा है। केन्द्रीय जेल बिलासपुर में वर्तमान समय में कुल 38 महिला बंदियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

34.

अधिकारियों के द्वारा भ्रमण व निरीक्षण :- 01.01.2018 से 24.07.2018 तक।

क्रमांक	निरीक्षणकर्ता का नाम, पदनाम	निरीक्षण दिनांक
1.	श्री शैलेश शर्मा (विधिक सेवा प्राधिकारी)	03.01.2018
2.	श्री गिरधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ.ग. रायपुर	05.01.2018
3.	श्री गिरधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ.ग. रायपुर	13.01.2018
4.	श्री जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़, श्री प्रभाकर सिंह चंदेल, अध्यक्ष राज्य विधिक परिषद	15.02.2018
5.	श्री बृजेश रॉव (सचिव) विधिक सेवा प्राधिकारी	23.02.2018
6.	श्री बृजेश रॉव (सचिव) विधिक सेवा प्राधिकारी	24.02.2018
7.	श्री के.के. गुप्ता, उप महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर	05.03.2018
8.	श्री गिरधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ.ग. रायपुर	02.04.2018
9.	श्री बृजेश रॉव (सचिव) विधिक सेवा प्राधिकारी	10.04.2018
10.	श्री के.के. गुप्ता, उप महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर	12.04.2018
11.	श्री के. डी. कुंजाम, अतिरिक्त कलेक्टर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़	19.04.2018
12.	श्री गिरधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ.ग. रायपुर	02.05.2018
13.	श्री के. एस. पैकरा डिप्टी कलेक्टर जिला बिलासपुर छ.ग.	08.05.2018
14.	श्री गिरधारी नायक (आई.पी.एस.) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ.ग. रायपुर	19.06.2018

35.

भ्रमण कर्ताओं से मीटिंग :- निरंक है।

36.

समय पूर्व रिहाई :- दिनांक 01.01.2018 से 24.07.2018 तक कुल 19 बंदियों का समय पूर्व रिहाई किया गया है।

37. बंदियों का वर्गीकरण :-

दिनांक 24.07.2018 को परिरुद्ध बंदियों की अद्यतन स्थिति

कैदी	पुरुष	किन्नर	महिला	योग
सक्त कैदी	2461	00	151	2612
साधारण कैदी	01	00	00	01
विचाराधीन बंदी	776	00	60	836
सिविल बंदी	05	00	00	05
मृत्यु दण्डित बंदी	00	00	00	00
विदेशी कैदी	05	00	00	05
योग	3248	00	211	3459

38. जेल में निर्माण कार्य :- नवीन 08 बैरकों का निर्माण कार्य प्रगति में है।
39. बंदियों की स्थिति :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में बंदियों की स्थिति सामान्य है।
40. विद्युत व्यवस्था जेल में एवं बैरकों में :- समस्त बैरकों में एवं जेल के अंदर एवं बाहर विद्युत व्यवस्था पर्याप्त है।
41. पुस्तकालय :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में बंदियों हेतु पं. माखन लाल चतुर्वेदी ग्रंथालय निर्माण किया गया है। जिसमें सामान्य ज्ञान, मोटिवेशनल, धार्मिक, नैतिक शिक्षा, नोबल, महान पुरुषों की कहानियां तथा विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 5600 पुस्तकों का संग्रह है।
42. योगा :- समय-समय पर स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से बंदियों हेतु योग शिविर का आयोजन कर बंदियों को योगा में प्रशिक्षित किया जाता है, एवं प्रशिक्षित बंदियों द्वारा प्रतिदिन अन्य बंदियों का योगाभ्यास कराया जाता है।
43. लोक अदालत कानूनी सहायता :- प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को जेल अदालत का आयोजन किया जाता है एवं कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी बंदियों को दी जाती है। 01.01.2018 से 24.07.2018 तक कुल 38 प्रकरण रखे गए हैं जिसमें से 33 प्रकरण निराकृत किए गए।
44. जेल बजट :-

केन्द्रीय जेल बिलासपुर

उपरोक्त बजट दिनांक 30.06.2018 की स्थिति में प्राप्त हुआ है-

1.	वर्तमान बजट में प्रावधानित राशि
प्लान	निरंक
नान-प्लान	
1. 01 वेतन भत्ते आदि	47395000
2. 020 त्यौहार अग्रिम	900000
3. 022 अनाज अग्रिम	-
4. 03 यात्रा भत्ता	180000
5. 04 कार्यालय व्यय	5165206
6. 013 किराया महसूल कर	40000
7. 25 सामाग्री तथा पुर्तियाँ	57673980
8. 001 भण्डार तथा कच्चा माल	6500000

9.	89 परिवन व्यय	50000
10.	24 अनुरक्षण कार्य (001 मोटर गाड़ी व्यय)	60000
11.	24 अनुरक्षण कार्य (004 आवासीय भवन मरम्मत कार्य)	-
12.	34 क्षतिपुर्ति (001 मुआवजा व्यय)	100000
13.	28 मशीन उपकरण (006 अन्य व्यय)	-
14.	27 लघु निर्माण (006 अन्य लघु निर्माण व्यय)	79320
नान-प्लान के अधीन प्राप्त बजट एवं माह में व्यय/माह के अंत तक कुल व्यय का योग		118683506

45. जेल में मृत्यु :- निरंक है।
46. लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में पुरुष बंदियों हेतु ऑफसेट प्रिंटिंग, स्कीन प्रिंटिंग, काष्ठकला, सिलाई, स्टील फर्नीचर, बुनाई उद्योग, एवं महिलाओं बंदी हेतु पापड़ बनाने को प्रशिक्षण, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, अचार बनाने का प्रशिक्षण राखी बनाने का प्रशिक्षण ब्यूटीपार्लर का प्रशिक्षण एवं कोशा से धागा निकालने का प्रशिक्षण।
47. साक्षात्कार :- दण्डित बंदियों को 15 दिनों में एक बार एवं विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में एक बार उनके परिजनों में मुलाकात कराया जाता है, प्रतिदिन औसतन 150-200 सौ बंदियों की मुलाकात कराई जाती है। बंदियों को उनके वकील से मिलने हेतु 15:00 से 20:00 मिनट का समय दिया जाता है।
48. गौशाला :- केन्द्रीय जेल बिलासपुर में गौशाला संचालित है।
49. बगीचा :- हॉ।
50. सांस्कृतिक/आध्यात्मिक कार्यक्रम :- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है एवं प्रातः 05:30 बजे एवं संध्या 05:00 बजे प्रभात फेरी निकाली जाती है।
51. खेलकूद :- ऑउट डोर गेम में बॉली-बॉल, बास्केट-बॉल, एवं इंडोर गेम के अंतर्गत कैरम, शतरंज, लूडो की सुविधाएं हैं।
52. टी.वी./समाचार पत्र :- टी.वी./समाचार पत्र बंदियों हेतु उपलब्ध है।

### 53. राज्य की ऐतिहासिक जेल

#### “एक भारतीय आत्मा”

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं साहित्यकार पं. माखन लाल जी चतुर्वेदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिनांक 05 जुलाई 1921 से 01 मार्च 1922 तक इस जेल पर निरुद्ध रहे। इस दौरान उन्होंने दिनांक 18 फरवरी 1922 को “पुष्प की अभिलाषा” शीर्षक से निम्न कविता रची :-

“चाह नहीं मैं सूरबाला के, गहनों में गूँथा जाऊँ।  
 चाह नहीं! प्रेमी-माला में बिंध, प्यारी को ललचाऊँ।  
 चाह नहीं! सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊँ,  
 चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ूँ, माग्य पर इठलाऊँ,  
 मुझे तोड़ लेना बनमाली।  
 उस पथ पर तुम देना फेंक।।  
 मातृभूमि पर शीश चढ़ाने।  
 जिस पथ जावें वीर अनेक।।

54. मुक्ताकाश अल्प आवास -  
केन्द्रीय जेल बिलासपुर में जेल परिसर में महामहिम राज्यपाल श्री के.एम. सेठ के करकमलों से "मुक्ताकाश अल्प आवास" का शुभारम्भ दिनांक 5.4.2006 को किया गया है। जिसमें पुरुष / महिला बंदियों के साथ निरूद्ध 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लड़के तथा लड़कियों को स्थानीय एन.जी.ओ. संस्था "अभियान" द्वारा मनोरंजन एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगन बाड़ी की एक यूनिट भी संचालित है। जिसमें जेल / पुलिस लाईन के अलावा निर्धन परिवार के छोटे बच्चों की देखभाल की जा रही है।

54. प्रोवेशन/दया याचिका एवं अस्थाई मुक्ति

प्रोवेशन 01.01.2016 से 24.07.2018 तक

कुल-29 बंदियों के प्रकरण में कार्यवाही की गई।

02-बंदी रिहा, 02-प्रकरण निरस्त, एवं 25-निर्णय लंबित है।

दया याचिका 01.01.2016 से 24.07.2018 तक

कुल-58 बंदियों के प्रकरण तैयार कर प्रेषित किये गये।

03-प्रकरण निरस्त, 55-निर्णय लंबित है।

अस्थाई मुक्ति 01.01.2016 से 24.07.2018 तक

- अ. जिला दण्डाधिकारी की ओर कुल-880 बंदियों के अस्थाई मुक्ति आवेदन प्रेषित किये गये।  
कुल प्रेषित अस्थाई मुक्ति प्रकरणों में से 309 प्रकरण स्वीकृत हुये।

- ब. महानिदेशक एवं जेल महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर बंदियों के कुल-646 पश्चात्पूर्ती अस्थाई मुक्ति आवेदन प्रेषित किये गये।  
कुल प्रेषित प्रकरणों में से 646 प्रकरण स्वीकृत किये गये।

56. आर्म्स एम्प्युनेशन एवं सुरक्षा उपकरण तथा अन्य संशाधन :-

01. 15 नग रायफल 303 बोर, 750 नग (303) बाल B.D.R. पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से दिनांक 05.01.2008 को प्राप्त हुआ एवं 13 नग 410 बोर मस्केट रायफल मय संगीन उपलब्ध है। बाल राउंड 43 नग, मिसफायर 122 नग, खाली खोका 1188 नग उपलब्ध है। ब्लैंक राउंड इस जेल में उपलब्ध नहीं है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 78 /स्थापना /दिनांक 7 जनवरी 2008 जेल मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर से 1500 नग ब्लैंक राउंड की मांग की गई है।
02. दो नग इलेक्ट्रिक सायरन उपलब्ध है जो कि चालू हालत में हैं।
03. एक नग जनरेटर चालू हालत में है जिसका उपयोग विद्युत अवरोध होने पर किया जाता है।
04. इस जेल में 18 नग वॉकी टाकी उपलब्ध है जो कि चालू हालत में है तथा इस जेल में 02 नग टेलीफोन 228795 एवं 224090 उपलब्ध है।
05. जेल भवन के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मेटल लाइट की सुविधा उपलब्ध है।
06. मेटल डिटेक्टर 04 नग चालू हालत में है।
07. अग्नि शमन यंत्र 18 नग उपलब्ध है जो कि चालू हालत में है।
08. फैंक्स मशीन एक नग चालू हालत में है।
09. फोटो कॉपी मशीन एक नग चालू हालत में है।
10. वायरलेस सेट मेन गेट पर स्थापित है जो कि पुलिस कंट्रोल रूम में जुड़ी हुई है।
11. इस जेल पर 1-4 की एस.एफ. गार्ड मेन गेट पर लगायी गई है।
12. जेल मेन गेट के बाहर सेंट मोर्चा बना हुआ है।

13. वॉच टॉवर -

केन्द्रीय जेल बिलासपुर के सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तीन नवीन वॉच टावर के निर्माण के लिये रूपये 6.07 लाख प्रति वॉच टावर के मान से रूपये 18.21 लाख का बजट आबंटन एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने से जेल के अंदर तीन वॉच टावरों का निर्माण कराया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उपर्युक्त नहीं है। चूंकि वॉच टावर का निर्माण जेल के अंदर कराया गया है, जेल की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी वॉच टावर में रायफल सहित जेल के अंदर लगाया जाना उचित नहीं है।

14. वाहनों की जानकारी -

01. टाटा सूमो सी.जी. 02/1034
02. मारुति वेन (एम्बुलेंस) सी.जी. 02/3245
03. मेटाडोर टाटा 407 सी.जी. 02/2499

57. अवलोकन एवं सुझाव :-